


आदेश पत्रक
(देखे अभिलेख हस्ताक 1941 का नियम 129)

बाउरी महतो

बनाम

अंचल अधिकारी, सोनाहातु

पृष्ठ सं०-.....

| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित |
|----------------------------|--|---|
| 13-03-2021 | <p>पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक-23.03.2021 को रखें।</p> <p style="text-align: center;">ह०/-</p> <p style="text-align: center;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।</p> | |
| 23-03-2021 | <p>अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता हाजरी दी गयी। पुकार पर अनुपस्थित।</p> <p>अभिलेखबद्ध निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०-22/2016-17 का ऑनलाइन जनित Mutation Details का प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें अस्वीकृति का कारण-आवेदित भूमि के क्रेता एवं विठेता दोनों सी एन टी समुदाय के हैं। भूमि की बिक्री बिना सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर भूमि की बिक्री की गयी है। अतः इसी आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।</p> <p>उपसमाहर्ता, विधि शाखा, राँची के पत्रांक-217(ii) दिनांक-31/01/2012 के द्वारा प्राप्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के W.P.(PIL) No.-758/2011 सालखन मुर्मू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-25/01/2012 को पारित आदेश की प्रति जिसमें मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा C.N.T. Act का सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।</p> <p>अतः उपरोक्त तथ्यों एवं निर्देशों, तथा अभिलेखबद्ध दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि कथित भूमि का विक्रेता कुर्मी जाति है जो C.N.T. Act से आच्छादित है। उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-46 1 (b) का उल्लंघन हुआ है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।</p> | |